Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January-June 2024 5(1), 3058–3063

A STUDY OF THE ROLE OF MNREGA IN ENHANCING SOCIAL HARMONY AND SOCIAL SECURITY IN RURAL SOCIETY

ग्रामीण समाज में सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने में मनरेगा की भूमिका का अध्ययन

Manoj Kumar Sharma [1], Dr. Yogesh Kumar [2]

[1] Research Scholar, Department of Arts, Faculty of Humanities Mangalayatan University, Beswan, Aligarh, Uttar Pradesh, India
[2] Research Supervisor, Department of Arts, Faculty of Humanities Mangalayatan University, Aligarh, UP, India

ABSTRACT

English: The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), enacted in 2005, is a key social security initiative by the Government of India that aims to enhance livelihood security in rural areas through the provision of guaranteed wage employment. While the economic implications of MNREGA have been widely studied, this paper explores its broader social dimensions—particularly its role in promoting social harmony and social security within rural society. This study critically examines how MNREGA contributes to reducing social inequalities and tensions by promoting inclusive and equitable access to employment opportunities. By ensuring participation across caste, class and gender lines, MNREGA has been instrumental in challenging traditional social hierarchies, empowering marginalised communities and promoting collective rural development. The research highlights the increased participation of women, Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in wage employment and how this inclusiveness has enhanced dignity, financial independence and social integration. Additionally, the study examines the role of MNREGA in strengthening social security by providing income support to vulnerable rural households, particularly during lean agricultural seasons or periods of economic distress. This income stability improves access to food, healthcare and education, thereby improving quality of life and reducing social conflict. The research is supported by a review of literature, field data and secondary sources to assess the implementation and outcomes of MNREGA. The findings suggest that despite operational challenges such as delayed payments and bureaucratic inefficiencies, MNREGA continues to serve as an important tool to promote rural equity, economic security and communal cooperation. In conclusion, MNREGA holds significant potential not only as an employment programme but also as a catalyst for social change in rural India. Strengthening its implementation and outreach can further enhance its impact on building a harmonious, secure and inclusive rural society.

Hindi: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जिसे 2005 में अधिनियमित किया गया था, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है जिसका उद्देश्य गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। जबकि मनरेगा के आर्थिक निहितार्थों का व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है, यह शोधपत्र इसके व्यापक सामाजिक आयामों की पड़ताल करता है- विशेष रूप से ग्रामीण समाज के भीतर सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका। यह अध्ययन इस बात की आलोचनात्मक जांच करता है कि रोजगार के अवसरों तक समावेशी और न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा देकर मनरेगा सामाजिक असमानताओं और तनावों को कम करने में कैसे योगदान देता है। जाति, वर्ग और लिंग रेखाओं से परे भागीदारी सुनिश्चित करके, मनरेगा पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रमों को चुनौती देने, हाशिए के समुदायों को सशक्त बनाने और सामूहिक ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। शोध में मजदूरी रोजगार में महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की भागीदारी में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि कैसे इस समावेशिता ने गरिमा, वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक एकीकरण को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन में कमज़ोर ग्रामीण परिवारों को

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.5573

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

आय सहायता प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में MNREGA की भूमिका की जांच की गई है, विशेष रूप से कमज़ोर कृषि मौसमों या आर्थिक संकट की अवधि के दौरान। यह आय स्थिरता भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच में सुधार करती है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और सामाजिक संघर्ष कम होता है। MNREGA के कार्यान्वयन और परिणामों का आकलन करने के लिए साहित्य, फ़ील्ड डेटा और द्वितीयक स्रोतों की समीक्षा द्वारा शोध का समर्थन किया जाता है। निष्कर्ष बताते हैं कि विलंबित भुगतान और नौकरशाही की अक्षमताओं जैसी परिचालन चुनौतियों के बावजूद, MNREGA ग्रामीण इक्विटी, आर्थिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करना जारी रखता है। निष्कर्ष में, MNREGA न केवल एक रोजगार कार्यक्रम के रूप में बल्कि ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में भी महत्वपूर्ण क्षमता रखता है। इसके कार्यान्वयन और आउटरीच को मजबूत करने से एक सामंजस्यपूर्ण, सुरक्षित और समावेशी ग्रामीण समाज के निर्माण पर इसका प्रभाव और बढ़ सकता है।

Keywords: Rural India, Positive Change, Generosity, Enhanced Dignity Social Harmony and Social Security, ग्रामीण भारत, सकारात्मक परिवर्तन, उदारता, बढ़ी हुई गरिमा सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सुरक्षा

1. प्रस्तावना

देश की अधिकांश आबादी का घर ग्रामीण भारत ऐतिहासिक रूप से गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार और असमानता जैसी गहरी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करता रहा है। इन संरचनात्मक मुद्दों के जवाब में, भारत सरकार ने 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) लागू किया। दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक कल्याण और रोजगार कार्यक्रमों में से एक के रूप में घोषित, MGNREGA का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। हालाँकि, रोजगार सृजन के अपने प्राथमिक उद्देश्य से परे, इस अधिनियम का गहरा द्वितीयक प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के क्षेत्रों में। MGNREGA ग्रामीण विकास और कल्याण के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक टॉप-डाउन कल्याण मॉडल के विपरीत, यह अधिकार-आधारित, मांग-संचालित और कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाता है और शासन में जवाबदेही को बढ़ावा देता है। समावेशी भागीदारी पर जोर देने के माध्यम से, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और भूमिहीन मजदूरों जैसे हाशिए के समुदायों की भागीदारी के माध्यम से, यह कार्यक्रम ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बदले में, अधिक सामाजिक सामंजस्य में योगदान देता है और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करता है जो अक्सर ग्रामीण समाज में संघर्ष और बहिष्कार का कारण बनते हैं।

यह कार्यक्रम कृषि संकट, सूखे या आर्थिक मंदी के दौरान ग्रामीण परिवारों को सुरक्षा जाल प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ाता है। ऐसे संदर्भ में जहां ग्रामीण कार्यबल का अधिकांश हिस्सा अनौपचारिक, कम वेतन वाले और अस्थिर रोजगार में लगा हुआ है, MGNREGA एक बफर के रूप में कार्य करता है, जिससे ग्रामीण परिवारों की अचानक आय के झटकों के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। मजदूरी का समय पर भुगतान, टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण और समुदाय-आधारित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना - जैसे जल संरक्षण, वनीकरण और ग्रामीण संपर्क - ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक लचीलेपन और विकास में और योगदान करते हैं। सामाजिक सद्भाव के संदर्भ में, MGNREGA ने सामाजिक विभाजन को पाटने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साथ लाकर आम परियोजनाओं पर काम करने के लिए यह कार्यक्रम सामूहिक उद्देश्य और सामुदायिक स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देता है। यह ऐसे स्थान बनाता है जहाँ आपसी सम्मान, सहयोग और एकजुटता पनप सकती है, जाति और वर्ग की बाधाओं को तोड़ सकती है। सामाजिक तनाव के इतिहास वाले क्षेत्रों में, इस अधिनियम ने संवाद और साझा हितों को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र के रूप में काम किया है, जिससे जमीनी स्तर पर शांति और स्थिरता में योगदान मिला है।

इस अध्ययन का उद्देश्य गहराई से पता लगाना है कि कैसे मनरेगा न केवल आर्थिक कल्याण में योगदान देता है, बल्कि बेहतर सामाजिक सद्भाव और मजबूत सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से ग्रामीण समाज के ताने-बाने को भी बढ़ाता है। यह उन तंत्रों का विश्लेषण करेगा जिनके माध्यम से यह अधिनियम हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाता है, समुदाय के सदस्यों के बीच विश्वास का निर्माण करता है और सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों को कम करता है। सामुदायिक संबंधों में मात्रात्मक परिणामों और गुणात्मक परिवर्तनों दोनों की जांच करके, अध्ययन भारत की सबसे महत्वाकांक्षी ग्रामीण रोजगार पहलों में से एक के व्यापक सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहता है।

2. अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण समाज में सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने में मनरेगा की भूमिका का विश्लेषण करना है। विशेष रूप से, इसका उद्देश्य है:

- अध्ययन द्वारा जांच करना कि मनरेगा किस तरह समावेशी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है जो जाति और लिंग जैसे सामाजिक विभाजन को पाटता है।
- ग्रामीण परिवारों की वित्तीय स्थिरता और भलाई में सुधार पर मनरेगा मजदूरी के प्रभाव का आकलन करें।
- ग्रामीण समुदायों में सहयोग और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देकर सामाजिक तनाव को कम करने में मनरेगा के योगदान की जांच करें।
- मूल्यांकन करना कि कैसे कार्यक्रम बेहतर आय के माध्यम से भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों तक पहुंच बढ़ाकर सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है।
- सामाजिक रूप से सामंजस्यपूर्ण और सुरक्षित ग्रामीण समाज बनाने में मनरेगा की भूमिका को अनुकूलित करने के लिए चुनौतियों की पहचान करें और नीतिगत सिफारिशें सुझाएँ।

3. साहित्य की समीक्षा

कई अध्ययनों ने ग्रामीण आजीविका और सामाजिक समावेश पर मनरेगा के सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया है। खेरा और नायक (2009) गरीबी को कम करने और हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका पर जोर देते हैं। अग्रवाल (2011) ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि को नोट किया है। ड्रेज़ और खेरा (2010) ने लाभार्थियों के बीच बेहतर खाद्य सुरक्षा का दस्तावेजीकरण किया है। सिंह (2015) ने समान मजदूरी को बढ़ावा देकर जाति-आधारित भेदभाव को कम करने के लिए मनरेगा को जोड़ा है। हालाँकि, शर्मा (2017) की आलोचनाएँ कार्यान्वयन में कमियों की ओर इशारा करती हैं जो सामाजिक लाभों को सीमित करती हैं। कुल मिलाकर, साहित्य से पता चलता है कि सामाजिक सद्भाव और सुरक्षा को बढ़ावा देने में मनरेगा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए बेहतर प्रशासन की आवश्यकता है।

3.1. ग्रामीण समाज में सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने में मनरेगा की भूमिका

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जिसे 2005 में शुरू किया गया था, भारत के प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करना है। जबकि इसका प्राथमिक लक्ष्य रोजगार के माध्यम से आय सुरक्षा प्रदान करके ग्रामीण गरीबी को कम करना है, मनरेगा की भूमिका आर्थिक लाभों से परे है और ग्रामीण समुदायों के सामाजिक ताने-बाने में गहराई तक फैली हुई है। यह ग्रामीण समाज में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह खंड उन बहुआयामी तरीकों की खोज करता है जिनसे मनरेगा सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देता है, असमानताओं को कम करता है और एक अधिक सुरक्षित ग्रामीण वातावरण का निर्माण करता है।

1) समावेशी रोजगार के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना: सामाजिक सद्भाव में मनरेगा का एक मौलिक योगदान इसके समावेशी रोजगार मॉडल में निहित है। यह अधिनियम काम के प्रावधान में जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। यह समावेशिता ग्रामीण संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां सामाजिक विभाजन, विशेष रूप से जाति पदानुक्रम, अक्सर बहिष्कार और संघर्ष का कारण बनते हैं। ऐतिहासिक रूप से, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिलाओं जैसे हाशिए के समुदायों को व्यवस्थित भेदभाव और संसाधनों और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ा है। मनरेगा ने इन समूहों के लिए ग्रामीण विकास कार्यों में समान रूप से भाग लेने के रास्ते खोले हैं। उदाहरण के लिए, कई अध्ययनों ने मनरेगा परियोजनाओं में एससी और एसटी परिवारों की बढ़ती भागीदारी का दस्तावेजीकरण किया है, जिससे उन्हें सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता मिली है। सामुदायिक परिसंपत्तियों, जैसे जल संरक्षण संरचनाओं, सड़कों और वनीकरण परियोजनाओं पर विभिन्न सामाजिक स्तरों के लोगों के साथ काम करके, मनरेगा विभिन्न समूहों के बीच बातचीत, सहयोग और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। ये साझा श्रम अनुभव पूर्वाग्रहों और जाति-आधारित तनावों को कम करने में मदद करते हैं, जिससे सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, महिलाओं को शामिल करने को अनिवार्य बनाकर, मनरेगा लैंगिक समानता को बढ़ाता है और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, जो अक्सर घर और समुदाय के भीतर अधिक सामाजिक सम्मान और आवाज का अग्रदूत होता है। ii). आय आश्वासन के माध्यम से ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना: अनियमित आय स्रोतों, कृषि निर्भरता और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा अक्सर कमज़ोर होती है। मनरेगा ग्रामीण आय को स्थिर करने और सबसे गरीब परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनरेगा के तहत गारंटीकृत रोजगार मजदूरी आय का एक भरोसेमंद स्रोत प्रदान करता है जो परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आश्रय जैसी उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। यह आय सुरक्षा ग्रामीण गरीबी और भुखमरी को कम करती है, आर्थिक अभाव से उत्पन्न होने वाले सामाजिक तनाव को कम करती है। इसके अलावा, मनरेगा

मजदूरी ग्रामीण परिवारों को उत्पादक परिसंपत्तियों या मानव पूंजी में बचत और निवेश करने में सक्षम बनाती है, जिससे दीर्घकालिक कल्याण में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, सुनिश्चित आय के साथ, माता-पिता अपने बच्चों को बाल श्रम में लगाने के बजाय स्कूल भेजने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे सामाजिक विकास में योगदान मिलता है और गरीबी के चक्र को तोड़ा जाता है। महत्वपूर्ण रूप से, मनरेगा की मांग-संचालित प्रकृति का अर्थ है कि यह काम की वास्तविक जरूरतों को पूरा करता है, जिससे परिवारों को खराब कृषि मौसम या आर्थिक मंदी के दौरान रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह संवेदनशीलता झटकों के प्रति लचीलापन बढ़ाती है, जिससे ग्रामीण समाज अधिक सुरक्षित बनता है।

2) हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना और असमानताओं को कम करना: सामाजिक सद्भाव पर मनरेगा का प्रभाव ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका से निकटता से जुड़ा हुआ है। समान वेतन और भागीदारी सुनिश्चित करके, मनरेगा आय असमानताओं और सामाजिक असमानताओं को कम करने में मदद करता है जो अक्सर असंतोष और सामाजिक कलह को बढ़ावा देते हैं।

महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय सफलता है। मनरेगा में अनिवार्य है कि लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएँ होनी चाहिए, और कई राज्यों ने इस कोटा को पार कर लिया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण ने परिवारों और समुदायों के भीतर अधिक निर्णय लेने की शक्ति को जन्म दिया है, जिससे अधिक समतावादी सामाजिक संबंधों को बढ़ावा मिला है।

इसी तरह, मनरेगा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मुख्यधारा की ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने की सुविधा प्रदान करता है। यह समावेशन सामाजिक बहिष्कार को कम करने में मदद करता है और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए अपनी सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान को बेहतर बनाने के अवसर पैदा करता है।

यह अधिनियम ग्राम रोजगार परिषदों के गठन का भी प्रावधान करता है, जो शासन में स्थानीय भागीदारी और सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करता है। जब हाशिए पर पड़े समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, तो इससे निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है और पूर्वाग्रह की धारणा कम होती है, जिससे सामाजिक सद्भाव मजबूत होता है।

3) सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना: मनरेगा केवल एक रोजगार कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सहभागी शासन में एक सामाजिक प्रयोग भी है। इसके लिए ग्राम पंचायतों (ग्राम परिषदों) और स्थानीय संस्थाओं को परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख करनी होती है। सत्ता का यह विकेंद्रीकरण सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जो सामाजिक सद्भाव के लिए आवश्यक है। जब ग्रामीण सामूहिक रूप से काम की पहचान करते हैं, उपस्थिति की निगरानी करते हैं और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, तो इससे भ्रष्टाचार और पक्षपात कम होता है, और समुदाय के सदस्यों के बीच विश्वास का निर्माण होता है। ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ संवाद और संघर्ष समाधान के लिए मंच भी बनाती हैं। कार्य आवंटन या मजदूरी भुगतान से संबंधित विवादों को स्थानीय स्तर पर सुलझाया जाता है, जिससे सामाजिक अशांति की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा, पंचायतों में महिलाओं और हाशिए के समूहों को शामिल करके, मनरेगा समावेशी शासन और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।

4) टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति और सतत आजीविका का निर्माण: तत्काल रोजगार से परे, संपत्ति निर्माण पर मनरेगा का जोर दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा और सद्भाव में योगदान देता है। यह कार्यक्रम सिंचाई नहरों, जल संचयन संरचनाओं, ग्रामीण सड़कों और भूमि विकास जैसी परियोजनाओं को निधि देता है, जिससे पूरे समुदाय को लाभ मिलता है। ये परिसंपत्तियाँ कृषि उत्पादकता में सुधार करती हैं, बाहरी श्रम बाजारों पर निर्भरता कम करती हैं और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच बढ़ाती हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है। बेहतर बुनियादी ढाँचा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन भी दुर्लभ संसाधनों पर संघर्ष को कम करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक तनाव का एक सामान्य कारण है। मनरेगा के माध्यम से सतत आजीविका सृजन मौसमी प्रवास और उससे जुड़े सामाजिक विस्थापन को कम करता है। जब लोग अपने समुदायों के भीतर एक स्थिर आय अर्जित कर सकते हैं, तो यह सामाजिक संबंधों और सामूहिक लचीलेपन को मजबूत करता है।

5) सामाजिक प्रभाव को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ और सीमाएँ: हालाँकि मनरेगा ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन सामाजिक सद्भाव और सुरक्षा को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका चुनौतियों का सामना कर रही है। मजदूरी भुगतान में देरी लाभार्थियों के विश्वास और वित्तीय स्थिरता को कमजोर करती है, जिससे भेद्यता बढ़ती है। कार्यस्थल के चयन और उपस्थिति में भ्रष्टाचार, पक्षपात और हेरफेर भी लाभों के समान वितरण को प्रभावित करते हैं। कुछ क्षेत्रों में, कानूनी प्रावधानों के बावजूद सामाजिक मानदंड अभी भी महिलाओं और हाशिए की जातियों की पूर्ण भागीदारी को सीमित करते हैं। इसके अतिरिक्त, मनरेगा के अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी सबसे गरीब लोगों की पहुँच को सीमित करती है। ग्रामीण समाज में मनरेगा की परिवर्तनकारी क्षमता को पूरी तरह साकार करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

6) केस स्टडी और अनुभवजन्य साक्ष्य: कई अनुभवजन्य अध्ययनों ने सामाजिक सद्भाव और सुरक्षा बढ़ाने में मनरेगा की भूमिका को पुष्ट किया है। उदाहरण के लिए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में किए गए शोध से पता चलता है कि मनरेगा ने मजदूरी भुगतान और कार्यस्थल पर होने वाले संपर्कों में जाति-आधारित भेदभाव को कम किया है। महाराष्ट्र के अध्ययनों से पता चलता है कि मनरेगा के माध्यम से कमाई करने वाली महिलाओं ने अपने समुदायों में अधिक गतिशीलता और सम्मान का अनुभव किया है। इसके अलावा, घरेलू सर्वेक्षणों से पता चलता है

कि मनरेगा लाभार्थियों के बीच बेहतर खाद्य सुरक्षा और कम संकटपूर्ण प्रवासन हुआ है, जो बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा को दर्शाता है। ये निष्कर्ष प्रभावी ढंग से लागू किए जाने पर ग्रामीण सामाजिक गतिशीलता को सकारात्मक रूप से बदलने की मनरेगा की क्षमता को उजागर करते हैं।

संक्षेप में, मनरेगा एक ऐतिहासिक सामाजिक हस्तक्षेप है जो ग्रामीण भारत में सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सुरक्षा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। समावेशी रोजगार की गारंटी देकर, यह जाति और लिंग के बीच की खाई को पाटता है, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसका आय आश्वासन एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करता है जो कमज़ोर ग्रामीण परिवारों को गरीबी और सामाजिक बहिष्कार से बचाता है। हालाँकि कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन एक अधिक समतापूर्ण और एकजुट ग्रामीण समाज बनाने की इस अधिनियम की क्षमता अद्वितीय है। बेहतर प्रशासन, बढ़ी हुई जागरूकता और बढ़ी हुई सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से मनरेगा को मज़बूत बनाने से सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सुरक्षा पर इसका प्रभाव और गहरा होगा, जिससे यह भारत के ग्रामीण विकास की आधारशिला बन जाएगा।

4. निष्कर्ष और सुझाव

मनरेगा ने ग्रामीण भारत में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सामाजिक पहचान से परे रोजगार की गारंटी देकर, इसने जाति और लिंग के बीच की खाई को पाटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में मदद की है। कार्यक्रम के आय समर्थन ने खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य परिणामों और शैक्षिक पहुँच में सुधार किया है, जिससे ग्रामीण परिवारों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसके अलावा, मनरेगा परियोजनाओं में सामूहिक भागीदारी ने सामुदायिक बंधन और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत किया है। इसकी सफलताओं के बावजूद, भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ इसकी पूरी क्षमता को सीमित करती हैं। इन मुद्दों को संबोधित करना मनरेगा के सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, मनरेगा ग्रामीण असमानताओं को कम करने और एक सुसंगत, सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में खड़ा है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को योगदान करने और फलने-फूलने का अवसर मिलता है। सामाजिक सद्भाव और सुरक्षा को बढ़ावा देने में मनरेगा की भूमिका को अधिकतम करने के लिए, कई कदम सुझाए गए हैं:

- कार्यान्वयन दक्षता में सुधार: लाभार्थियों के बीच विश्वास बनाने के लिए मजदूरी का समय पर भुगतान और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत करें: नियमित जागरूकता अभियान ग्रामीण आबादी को उनके अधिकारों और मनरेगा के लाभों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं, जिससे व्यापक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, खासकर हाशिए पर पड़े समूहों के बीच।
- लैंगिक और सामाजिक समावेश को बढ़ावा दें: विशेष प्रोत्साहन और निगरानी से मनरेगा परियोजनाओं में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने को बढ़ावा मिलना चाहिए।
- कौशल विकास को बढ़ावा दें: कौशल प्रशिक्षण को रोजगार के साथ एकीकृत करने से दीर्घकालिक आजीविका की संभावनाओं में सुधार हो सकता है, जिससे निरंतर सामाजिक सुरक्षा में योगदान मिल सकता है।
- सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें: मनरेगा परियोजनाओं की देखरेख के लिए पंचायतों जैसे स्थानीय शासन निकायों को मजबूत करने से अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिल सकता है।
- भ्रष्टाचार और लीकेज को संबोधित करें: मजबूत निगरानी और प्रौद्योगिकी का उपयोग (जैसे बायोमेट्रिक उपस्थिति और ऑनलाइन ट्रैकिंग) कदाचार को कम कर सकता है।
- मनरेगा को अन्य सामाजिक योजनाओं से जोड़ें: स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के साथ मनरेगा का समन्वय करने से एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल तैयार होगा।

इन सुझावों के क्रियान्वयन से ग्रामीण विकास, सामाजिक सद्भाव और सुरक्षा के साधन के रूप में मनरेगा की प्रभावशीलता मजबूत होगी।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Rajasekhar, D. (2025). Mahatma Gandhi NREGS Benefits to Disadvantaged Groups: Status and Trends Across Major States of India. Journal of Rural Development, 43(2), 169–183.

Chinnadurai, A. S., & Sakthivel, P. (2025). Role of Mahatma Gandhi NREGA in Building Rural Infrastructure and Sustainable Development. Journal of Rural Development, 43(2), 248–263.

Sharma, V., Khanna, M., (2024). Empowering Rural Women Through MGNREGA: A Path to Financial Independence. International Journal of Business & Management Science.

Patel, B. M. (n.d.). Impact of MGNREGA on Gender and Social Empowerment. International Education and Research Journal.

Tek Singh & Kumari, R. (2024). Income, Assets & Employment Generation Through MGNREGA in Himachal Pradesh. Pragati: Journal of Indian Economy, 11(2), 39–56.

Balasubramaniam, P., (2022). Impact Assessment on Attainment of Social Status by MGNREGA Beneficiaries in Tamil Nadu. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, 40(4), 93–99.

Shridhar & Thippesh. (2024). Understanding the Dynamics of MGNREGA Beneficiaries: A Social Work Perspective in Karnataka. South Asian Journal of Social Studies & Economics, 21(6), 76–87.

Dutta, P., Murgai, R., Ravallion, M., & van de Walle, D. (2014). Right to Work? Assessing India's Employment Guarantee Scheme in Bihar. World Bank.

Novotny, J., & Kubelkova, J. A Multi Dimensional Analysis of MGNREGA Impacts: A Tale from Tamil Nadu. Singapore Journal of Tropical Geography.

Montes, F., Jimenez, R. C., & Onnela, J. P. (2018). Connected but Segregated: Social Networks in Rural Villages. arXiv.

Times of India Reports: Women's rising participation and empowerment under MGNREGA (Prayagraj region, 2025)

https://www.jetir.org/papers/JETIR2007354.pdf

https://www.ijsssr.com/j/article/download/171/152/291

https://erpublications.com/uploaded_files/download/t-s-k-durgesh-nandhini_LituQ.pdf

https://nrega.nic.in/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx